



प्रीलिम्स फैक्ट्स : 29 मई, 2018

drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-29-05-2018

माउंट देवटिब्बा अभियान, 2018

भारतीय नौसेना द्वारा 28 मई से 15 जून, 2018 तक माउंट देवटिब्बा पर्वतारोहण अभियान आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 6001 मीटर की ऊँचाई पर स्थित माउंट देवटिब्बा चोटी को फतह करने के लिये महिला पर्वतारोहियों (नौसेना की 'तारिणी' महिला अफसरों) का एक दल इस अभियान का हिस्सा बन रहा है।

- लेफ्टिनेंट कमांडर कोकिला सजवान टीम का नेतृत्व करेंगी और इस टीम में दो बेस कैम्प सपोर्ट स्टाफ सहित 15 सदस्य शामिल हैं।
- भारतीय नौसेना ने मई 2017 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की।
- नौसेना ने एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई 1965 में की थी और क्रमशः 2006 और 2008 में दक्षिण और उत्तरी ध्रुव पर पहुँची थी।
- नौसेना की महिला टीम सागर परिक्रमा करने के बाद अब माउंट देवटिब्बा के लिये संपूर्ण महिला अभियान पर्वतारोहण का आयोजन करके इसी तरह की उपलब्धि हासिल करना चाहती है।
- माउंट देवटिब्बा निकट भविष्य में एवरेस्ट सहित ऊँची चोटियों पर चढ़ने का लॉन्च पैड है। यह हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में पीर पंजाल रेंज में स्थित है।

नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र होगा कोलंबिया

हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस ने जल्द ही कोलंबिया के औपचारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने संबंधी घोषणा की। कोलंबिया नाटो समूह का हिस्सा बनने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र होगा। नाटो समूह में कोलंबिया एक "वैश्विक भागीदार" के रूप में शामिल होगा, अर्थात् यह सैन्य कार्रवाई में भाग नहीं लेगा।

नाटो

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) एक अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन है। इसका औपचारिक नाम Organisation du Traite de l'Atlantique Nord-OTAN है।
- इसकी स्थापना 4 अप्रैल, 1949 में अमेरिका, कनाडा तथा 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों (ब्रिटेन, फ्राँस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नार्वे, आइसलैंड तथा लक्जमबर्ग) द्वारा वाशिंगटन संधि (उत्तर अटलांटिक संधि) पर हस्ताक्षर के रूप में की गई थी।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।

उद्देश्य

राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग एवं परामर्श के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों को उनकी सामूहिक सुरक्षा के लिये एकजुट करना।

संगठित रक्षा का सिद्धांत

यह संगठित रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि नाटो के एक या एक से अधिक सदस्यों के खिलाफ सशस्त्र हमला किया जाता है तो उसे संगठन के सभी सदस्य देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति पर सम्मेलन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy & Promotion -DIPP) के अंतर्गत नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन आईपीआर संवर्द्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (Cell for IPR Promotion and Management - CIPAM), राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून (National Intellectual Property Rights - IPR) के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून को भारत सरकार द्वारा मई 2016 में स्वीकार किया गया था।

इसमें दो विशेष सत्र नवोन्मेष में महिलाएँ तथा बौद्धिक संपदा कानून का निर्माण, जागरूकता, व्यावसायीकरण तथा क्रियान्वयन आयोजित किये गए।

उद्देश्य

प्रमुख उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिये गणमान्य व्यक्तियों की सेवाएँ लेना है।

राष्ट्रीय आईपीआर नीति (National IPR Policy)

- राष्ट्रीय आईपीआर नीति एक विज्ञान दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की बौद्धिक संपदाएँ, संबंधित कानूनों तथा एजेंसियों के मध्य सहभागिता व समन्वय स्थापित करना है।
- यह कार्यान्वयन, निगरानी व समीक्षा के लिये एक संस्थागत तंत्र का निर्माण करता है।
- यह नीति भारतीय परिदृश्य में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने तथा अनुकूल बनाने का प्रयास करती है।

आईपीआर संवर्द्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (Cell for IPR Promotion and Management - CIPAM)

- आईपीआर संवर्द्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) का गठन 2016 में डीआईपीपी के अंतर्गत एक निकाय के रूप में किया गया था।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आईपीआर नीति को लागू करना है। अपने निर्माण से लेकर अब तक आईपीआर संवर्द्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) देश में बौद्धिक संपदा के संदर्भ में जन-जागरूकता फैलाने के लिये प्रयासरत है।
- यह आईपीआर आवेदन करने के लिये सुविधाएँ प्रदान करता है। यह आविष्कारकों को अपनी बौद्धिक संपदा के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिये मंच उपलब्ध कराता है।
- आईपीआर संवर्द्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून लागू करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।

आईपीएल 2018

मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराते हुए तीसरी बार IPL का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग IPL का खिताब तीन बार जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा मुंबई इंडियंस भी तीन बार IPL का खिताब अपने नाम कर चुकी है।

आईपीएल विजेताओं की सूची

विजेता टीम	चेन्नई सुपर किंग्स
उपविजेता टीम	सनराइजर्स हैदराबाद
मैन ऑफ द मैच	शेन वाटसन (चेन्नई सुपर किंग्स)
ऑरेंज कैप (सर्वाधिक रन)	केन विलियमसन (सनराइजर्स हैदराबाद)
पर्पल कैप (सर्वाधिक विकेट)	एंड्र्यू टवे (किंग्स इलेवन पंजाब)
परफेक्ट कैच ऑफ द सीज़न	ट्रेंट वाल्ट द्वारा विराट कोहली का विकेट
सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी	सुनील नारायण (कोलकाता नाईट्स राइडर्स)
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न	ऋषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)
सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न	सुनील नारायण